



2026:AHC:67847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 6466 वर्ष 2026

गजराज आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार मिश्रा, दुर्गा प्रसाद तिवारी, ऋषभ शुक्ला, योगेंद्र

नाथ शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अमन मेहरोत्रा, धीरेंद्र सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता श्री धीरेंद्र सिंह और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन को केस अपराध संख्या-383 वर्ष 2016 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या-14680 वर्ष 2025 (राज्य बनाम गजराज) की पूरी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जो धारा 420 भ०द०वि०, थाना-जानी, जिला- मेरठ के तहत एसीजेएम, न्यायालय संख्या-4, मेरठ की अदालत के समक्ष लंबित है, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 16.01.2025 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 22.08.2025 शामिल है।
3. उपर्युक्त मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए, आवेदक के अधिवक्ता ने किया कि प्राथमिकी के कथन के माध्यम से जो पूरा आरोप लगाया गया है, वह यह है कि आवेदक ने भूमि के उस हिस्से का पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया है, जो दिनांक 05.12.2014 को प्रतिपक्षी संख्या-2 से संबंधित है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, संबंधित विवेचनाधिकारी ने विस्तृत जांच की और दिनांक 30.04.2017 को अंतिम रिपोर्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को दायर की। इसके बाद, दिनांक 17.08.2017 को प्रतिपक्षी संख्या-2 के इशारे पर एक विरोध याचिका दायर की गई है, जिसमें संबंधित अदालत ने दिनांक 26.03.2024 के आदेश के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, संबंधित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.12.2024 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विवेचनाधिकारी ने धारा 420 भ०द०वि० के अनुसरण में दिनांक 16.01.2025 को आवेदक के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया, जिसके बाद दिनांक 22.08.2025 के आदेश के माध्यम से संबंधित न्यायालय में अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसमें प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

5. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवाद का मूल स्वरूप दीवानी प्रकृति का है और आवेदक के खिलाफ शायद ही कोई आरोप लगाया गया है क्योंकि बिक्री विलेख जिसे आवेदक द्वारा वर्ष 2014 में ही निष्पादित किया गया है; उसी वर्ष राजस्व अभिलेखों अधिकारों के अभिलेखों में आवेदक का नाम दिखा रहे थे और इस तरह बिक्री विलेख जो भी साझा करने के लिए निष्पादित किया गया है, जो अधिकारों के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, निर्विवाद है और इस तरह आवेदक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए विशिष्ट वाद को प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा नागरिक उपचार के माध्यम से अपने अधिकारों की बहाली के लिए कभी भी दायर नहीं किया गया है। आवेदक के खिलाफ जो भी आरोप लगाया गया है, वह अवैध है, आवेदक को अनुचित आपराधिक मुकदमेबाजी में डालता है और आवेदक के अधिवक्ता के अनुसार कानून की नजर में भी बुरा है।

7. तत्स्य विपरीत, प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन नहीं किया, यह प्रस्तुत करते हुए कि आवेदक का नाम अधिकारों के अभिलेखों के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों में लगातार उपलब्ध था, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 2014 में जब आवेदक



द्वारा बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है, तो प्रतिपक्षी संख्या-2 का नाम उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसे अधिकारों के बाद के अभिलेखों में जारी रखा गया था।

8. सटीक प्रश्न पूछते समय कि बिक्री विलेख को रद्द करने के लिए किसी भी दीवानी वाद को कभी भी प्रतिपक्षी संख्या-2 के इशारे पर दायर की गई है, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया था कि दीवानी उपचार का लाभ उठाने के लिए ऐसा कोई मुकदमा कभी भी प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा दायर नहीं किया गया है।

9. जहां तक म्यूटेशन का सवाल है, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि इसे पहले ही प्रतिपक्षी के पक्ष में अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिसे आवेदक द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख वर्ष 2014 में ही प्राप्त हुआ था।

10. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकी के माध्यम से जो भी आरोप लगाया गया है, उसे नागरिक उपचार के माध्यम से निवारण किया जा सकता है, जो अभी भी प्रतिपक्षी संख्या-2 के पास उपलब्ध है और आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क कि नागरिक विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है, उचित प्रतीत होता है।

11. इसके मद्देनजर, आवेदक के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या-14680 वर्ष 2025 (राज्य बनाम गजराज) के रूप में शुरू की गई पूरी कार्यवाही, जो केस अपराध संख्या-383 वर्ष 2016 से उत्पन्न होती है, धारा 420 भ्रष्टाचार, थाना-जानी, जिला मेरठ, एसीजेएम, न्यायालय संख्या-4, मेरठ की अदालत के समक्ष लंबित है, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 16.01.2025 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 22.08.2025 शामिल है, एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

12. प्रस्तुत आवेदन तदनुसार अनुमति दी जाती है।

मार्च 30, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)